

रिट याचिका संख्या (एम0बी0) 508/2025, सहबद्ध रिट याचिका संख्या (एम0एस0) 2746/2024, रिट याचिका संख्या (एम0एस0) 2793/2024 एवं रिट याचिका संख्या (एम0बी0) 797/2025 में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 16.12.2025 को पारित आदेश के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 716/15-1 दिनांक 21.09.2024 द्वारा कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु हल्के वाहनों के पंजीकरण विषयक दिशा-निर्देशों में संशोधन :-

इस कार्यालय के पत्रांक 716/15-1 दिनांक 21.09.2024 द्वारा कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु हल्के वाहनों के पंजीकरण विषयक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। इन दिशा-निर्देशों के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या (एम0बी0) 508/2025, सहबद्ध रिट याचिका संख्या (एम0एस0) 2746/2024, रिट याचिका संख्या (एम0एस0) 2793/2024 एवं रिट याचिका संख्या (एम0बी0) 797/2025 में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 16.12.2025 को अन्तरिम आदेश पारित किया है, जिसके प्रभावी अंश निम्नवत् हैं :-

8. "In the meantime, the last sentence of Clause iv of the impugned guidelines dated 21.09.2024 shall not be given effect to and petitioners shall be permitted to participate in the registration process; however, the selection shall be made strictly as per the Tiger Conservation Norms."

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 16.12.2025 के समादर में इस कार्यालय के पत्र संख्या 716/15-1 दिनांक 21.09.2024 द्वारा कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु हल्के वाहनों के पंजीकरण विषयक दिशा-निर्देशों को निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

खुली श्रेणी

- iv. तृतीय श्रेणी - यदि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुरूप वाहन पंजीकृत नहीं हो पाते हैं तो उन सभी आवेदनकर्ताओं को आवेदन हेतु मौका दिया जायेगा, जिनके पास 15 वर्ष से पुराना वाहन न हो तथा जिनके पास कार्बेट टाइगर रिजर्व में वाहन चलाने हेतु स्थायी परमिट हो। साथ ही वाहन स्वामी/चालक के विरुद्ध विगत 03 वर्षों में कोई गम्भीर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई हो। इस श्रेणी के निर्धारण में मा0 वन मंत्री जी के पत्र संख्या 179/मंत्री/वी0आई0पी0/2024 दिनांक 29.05.2024 द्वारा निर्गत उक्त विषयक आदेश का पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा।

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत वाहनों का पंजीकरण करने के उपरांत निर्धारित सीमा से शेष बची संख्या से अधिक वैध आवेदन प्राप्त होने पर उनका निर्धारण चयन में पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु खुली लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

के स्थान पर

- iv. "तृतीय श्रेणी - यदि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुरूप वाहन पंजीकृत नहीं हो पाते हैं तो उन सभी आवेदनकर्ताओं को आवेदन हेतु मौका दिया जायेगा, जिनके पास 15 वर्ष से पुराना वाहन न हो तथा जिनके पास कार्बेट टाइगर रिजर्व में वाहन चलाने हेतु स्थायी परमिट हो। साथ ही वाहन स्वामी/चालक के विरुद्ध विगत 03 वर्षों में कोई गम्भीर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई हो।

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत वाहनों का पंजीकरण करने के उपरान्त निर्धारित सीमा से शेष बची संख्या से अधिक वैध आवेदन प्राप्त होने पर उनका निर्धारण चयन में पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु खुली लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। "

उक्त के जतिरगत इस कार्यालय के पत्र संख्या 716/15-1 दिनांक 21.09.2024 द्वारा कबरेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु हल्के वाहनों के पंजीकरण विषयक शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेगे।

इस संशोधित दिशा-निर्देशों के त्रय में निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 16.12.2025 के अनुपालन में कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु हल्के वाहनों के पंजीकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(आर० के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

85-राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न०-0135-2742884 ई-मेल-cwlwua@yahoo.co.in

पत्रांक 2252 / 29-1

देहरादून दिनांक

01

दिसम्बर 2025

जनवरी

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव वन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
5. निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, नैनीताल।
6. निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, उत्तराखण्ड।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा।
8. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी तथा सहायक परिवहन अधिकारी, रामनगर, पौड़ी, अल्मोड़ा।

(आर० के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।